



GOVT. NAVEEN COLLEGE BORI, DIST. DURG (C.G.)

6.2.2

- 1) College working committee list**
- 2) Service rules**

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय - बोरी, जिला - दुर्ग (छ. ग.)

www.govtcollegebori.com

Email-govtcollegebori@gmail.com

College Code - 1609

क्रं P-386 / 2021

बोरी, दिनांक 11/08/2021

आदेश

सत्र 2021 - 22 हेतु आगामी आदेश तक प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए निम्नांकित समितियों का गठन किया गया है। संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्यों का पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करेंगे। समिति के सदस्य, प्रभारी अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य को त्रुटि रहित एवं निश्चित समय अवधि में पूरा करने में पूर्ण जिम्मेदारी से सहयोग प्रदान करेंगे।

महाविद्यालय कार्यकारी समितियां

01. स्टाफ काउंसिल की बैठक समिति	प्रभारी - डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी सदस्य - डॉ. अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक अध्यक्ष - डॉ. आनंद कुमार विश्वकर्मा, प्राचार्य सदस्य - डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक प्रभारी - डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी सदस्य - डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी सदस्य - डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य सदस्य - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र प्रभारी - डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी सदस्य - डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी सदस्य - डॉ. अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र सदस्य - डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य सदस्य - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र सदस्य - डॉ. (श्रीमती) संगीता शर्मा, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र सदस्य - श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य प्रभारी - डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी
02. सम्मिलित कोष निधि समिति	
03. एंटी रेगिंग समिति	
04. अनुशासन समिति	
05. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति	


प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

	सदस्य - डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य
06.	सदस्य - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
	सदस्य - डॉ. (श्रीमती) संगीता शर्मा, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र
	सदस्य - श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र
07.	संयोजक - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
	प्रभारी - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
	सदस्य - श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र
	सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
08.	सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक
	प्रभारी - डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी
	सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
09.	सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक
	प्रभारी - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
	संयोजक - डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी
	प्रभारी - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
	सदस्य - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
	सदस्य - श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र
	सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
	सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक
	सहायक कर्मचारी - कु. प्रजा देवांगन, कंप्यूटर सहायक
	प्रभारी - डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी
	सदस्य - डॉ. अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
	सदस्य - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
	प्रभारी - डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य
	सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
	प्रभारी - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
	सदस्य - डॉ. (श्रीमती) संगीता शर्मा, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र
	सदस्य - श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र
	प्रभारी - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
	सदस्य - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
	सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
10.	संयोजक - डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी
	प्रभारी कला संकाय - डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी
	प्रभारी वाणिज्य संकाय - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
	प्रभारी विज्ञान संकाय-डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
11.	एम. ए. समाजशास्त्र प्रभारी- डॉ. अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
12.	प्रायोगिक कार्य प्रोजेक्ट कार्य एवं प्रायोगिक


 प्राचार्य
 रासकीय नवीन महाविद्यालय योरी
 जिला - दुर्ग (छ.ग.)

परीक्षा समिति

	कला संकाय प्रभारी- डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र वाणिज्य संकाय प्रभारी- डॉ. मंजू नता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विज्ञान संकाय प्रभारी - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
13. विश्वविद्यालय कार्यसमिति	प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक सहायक कर्मचारी- कुमारी प्रजा देवांगन, कंप्यूटर सहायक प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक प्रभारी- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक प्रभारी- डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र सदस्य - कुमारी प्रजा देवांगन, कंप्यूटर सहायक सदस्य - श्री योगेश ठाकुर, सहायक कर्मचारी प्रभारी- डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र सदस्य - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक प्रभारी- डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी सदस्य - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य संयोजक - डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र प्रभारी - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक सहायक कर्मचारी- कुमारी प्रजा देवांगन, कंप्यूटर सहायक सहायक कर्मचारी- श्री योगेश ठाकुर, कंप्यूटर सहायक प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक सहायक जन सूचना अधिकारी - डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी सहायक जन सूचना अधिकारी - डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी सहायक कर्मचारी - कुमारी प्रजा देवांगन, कंप्यूटर सहायक प्रभारी- डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक
14. वेतन निर्धारण समिति	
15. आयकर एवं टीडीएस निर्धारण समिति	
16. पुस्तकालय समिति	
17. रुसा कार्यसमिति	
18. महाविद्यालय छात्रसंघ समिति	
19. अतिथि व्याख्याता नियुक्ति समिति	
20. महाविद्यालय अधिकारी एवं कर्मचारी संबंधी जानकारी एवं रिकॉर्ड रखरखाव समिति	
21. सूचना का अधिकार समिति	
22. लोक सेवा गारंटी अधिनियम	
23. यूजीसी कार्यसमिति	

अप्रैल २०२३
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय दोरो
जिता - दुर्ग (छ.ग.)

प्राचार्य
प्राचार्य वोरी
जिला - दर्गा (छ.ग.)

	एवं अन्य मद)	सदस्य - श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
30.	विधानसभा प्रश्न समिति	सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक सहायक कर्मचारी- कुमारी प्रज्ञा देवांगन, कंप्यूटर सहायक प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
31.	महाविद्यालय वेबसाइट निर्माण एवं अद्यतन समिति	सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक नोडल अधिकारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
32.	ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE)	प्रभारी- डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी
33.	महा विद्यालय बजट निर्माण समिति	सदस्य- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक सहायक कर्मचारी- कुमारी प्रज्ञा देवांगन, कंप्यूटर सहायक संयोजक- डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी
34.	आंतरिक शिकायत निवारण समिति	कला संकाय प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी सदस्य- डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र वाणिज्य संकाय प्रभारी- डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य सदस्य- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विज्ञान संकाय प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
35.	महिला उत्पीड़न एवं आंतरिक परिवाद समिति	सदस्य- श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र कार्यालय प्रभारी- श्री अनिल मिश्रा प्रभारी मुख्य लिपिक प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी
36.	मतदाता जागरूकता ,स्वीप कार्यक्रम एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्य	सदस्य-डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य सदस्य-डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य-डॉ. (श्रीमती) संगीता शर्मा, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र सदस्य-श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र बाह्य सदस्य- डॉ (श्रीमती) किरण बाला पटेल प्रभारी - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
37.	आंतरिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन समिति	सदस्य- श्री अनिल मिश्रा प्रभारी मुख्य लिपिक परामर्शदाता- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र संयोजक- डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी कला संकाय प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी एम. ए. समाजशास्त्र प्रभारी- डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र वाणिज्य संकाय प्रभारी- डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य

प्राचार्य
प्राचार्य
गारकीय नवीन महाविद्यालय बोर्ड
जिला -दुर्ग (छ.ग.)

- | | | |
|-----|---|--|
| 38. | जनभागीदारी समिति | विज्ञान संकाय प्रभारी -डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र प्रभारी अधिकारी- डॉ. (श्रीमती) आशा दीवान, विभागाध्यक्ष हिंदी जनभागीदारी लेखा संधारण प्रभारी - श्री अनिल मिश्रा प्रभारी मुख्य लिपिक प्रभारी- डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी सदस्य - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक अध्यक्ष- डॉ आनंद कुमार विश्वकर्मा, प्राचार्य प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य- डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य सदस्य-श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र सदस्य- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य परामर्शदाता- डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र प्रभारी- डॉ. तापस मुखर्जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी सदस्य- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य- श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र सदस्य- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक |
| 39. | महाविद्यालय विवरणिका एवं नियमावली फॉर्म तथा परिचय पत्र निर्धारण समिति | |
| 40. | नियोजन एवं पेशा परामर्श प्रकोष्ठ | |
| 41. | वार्षिक परीक्षा कार्यसमिति | |
| 42. | अग्रणी महाविद्यालय जानकारी एवं प्रशासनिक बैठक कार्यसमिति | |
| 43. | महाविद्यालय वार्षिक प्रतिवेदन एवं पालन प्रतिवेदन समिति | |
| 44. | क्रीड़ा समिति | |
| 45. | स्वच्छता अभियान समिति | |
| 46. | वृक्षारोपण एवं केंपा फंड समिति | |
| 47. | ग्रीन ऑडिट समिति | |
| 48. | पंचमुखी विकास कार्यक्रम समिति स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था | |
| | स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था | |

Jewishkarma
प्राचीर्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय दोरी
जिला - दर्जा (छ.ग.)

महाविद्यालय का रंग रोगन प्रभारी सदस्य	प्रभारी- डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
अकादमिक ऑडिट प्रभारी सदस्य	प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
महाविद्यालय में वाई-फाई की सुविधा	प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
रिकॉर्ड लेखाकार रखरखाव	प्रभारी- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
महाविद्यालय में शैक्षणेतर गतिविधियां	सदस्य - श्री अनिल मिश्रा, प्रभारी मुख्य लिपिक
49. योगा कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षण समिति	प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
50. राष्ट्रीय पर्व आयोजन समिति	सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
51. महाविद्यालय सैनिटाइजेशन समिति	प्रभारी - डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
52. न्यायालयीन प्रकरण समिति	सदस्य - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
53. कृमी दवा वितरण कार्यक्रम	सदस्य - श्रीमती कविता ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र
54. महाविद्यालय हेल्प डेस्क	सदस्य- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
55. महाविद्यालय इंटरनेट ईमेल, सूचना प्रेषण एवं अन्य ऑनलाइन संचालन कार्य	प्रभारी- डॉ अमरनाथ शर्मा, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र सदस्य - डॉ. मंजू लता साव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य सदस्य - डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य - डॉ. हंसराज ठाकुर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र सदस्य - डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य प्रभारी- डॉ. (श्रीमती) मीना चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र सदस्य- डॉ. समीर जयसवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य

प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी जिला - दर्जा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ —

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 कहलायेंगे।
(2) ये नियम इनके "छत्तीसगढ़ राजपत्र" सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1783-1585-एक (तीन) 60, दिनांक 13 जुलाई, 1961 में अधिसूचित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं —

इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य शासन या ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति शासन द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाए।
(ख) "आयोग" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से है।
(ग) "शासन" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है।
(घ) "राज्यपाल" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से है।
(ड) "पद" से तात्पर्य शासन के अधीन पूर्णकालिक नियोजन से है किन्तु इसमें कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है, जिसमें कर्मचारी को भुगतान "आकस्मिकता निधि" से किया जाता हो।
(च) विहित से तात्पर्य राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अधीन बनाये गये अन्य नियमों द्वारा या शासन द्वारा उस संबंध में जारी किये गये सामान्य या विशेष कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विहित से है।
(छ) "सेवा" से तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को छोड़, राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सेवा या पदों के समूहों से है, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित और पदांकित हो।
(ज) "राज्य" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य से है।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति —

ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो राज्य में कोई पद धारण कर रहा हो या किसी सेवा का सदस्य हो किन्तु ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

- (क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति और नियोजन की शर्तें, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विशेष उपबंधों द्वारा विनियमित हों?

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में उपबंध बनाये गए हों या इसके पश्चात् करार द्वारा बनाये जायें,

(ग) छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति.

परन्तु उनसे किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उनकी सेवाओं से या उनके पदों से संबंधित किसी उपबंधों के अंतर्गत न आता हो, ये नियम उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे।

4. वर्गीकरण —

(1) राज्य की लोक सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत की जायेंगी :—

- (एक) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, प्रथम श्रेणी।
- (दो) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, द्वितीय श्रेणी
- (तीन) (क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)
- (ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)
- (चार) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, चतुर्थ श्रेणी।

(2) किसी विद्यमान सेवा या पद का और किसी नई सेवा या पद का वर्गीकरण शासन द्वारा अवधारित किये गये अनुसार होगा :

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों के अधीन किया गया किसी विद्यमान सेवा या पद का वर्गीकरण तब तक इन नियमों के अधीन जारी किया गया इसका वर्गीकरण समझा जायेगा जब तक कि इस संबंध में जारी किये गये विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा उसे उपांतित न कर दिया जाए :

परन्तु यह और कि किसी सेवा या पद के वर्गीकरण में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से तृतीय या तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के रूप में किया गया परिवर्तन प्रभावित व्यक्ति की पदावनति नहीं समझा जायेगा।

5. नियुक्ति के लिये पात्रता —

किसी सेवा या पद पर नियुक्त होने के लिये उम्मीदवार को या तो—

- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या
- (ख) सिविल की प्रजा होना चाहिये, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

शासकीय सेवकों का आधारभूत प्रशिक्षण (पाद्य सामग्री)

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिए.

टिप्पणी – 1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण—पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए. तथापि पात्रता के प्रमाण—पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे.

(एक) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं.

(दो) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयूत करा लिया है.

(तीन) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी, 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं.

टिप्पणी – 2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण—पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

6. अनर्हताएं –

- (1) कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी, परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.
- (2) किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये :

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को, उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (3) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, ऐसी जांच के बाद, जैसी कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाझ हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- (4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायगा।
- (5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- (6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

7. भरती का तरीका — किसी उम्मीदवार का किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये व्यथाविहित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से किया जायेगा, अर्थात् :-

 - (एक) सीधी भरती द्वारा,
 - (दो) पदोन्नति द्वारा,
 - (तीन) किसी अन्य सेवा या पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानात्मक द्वारा :

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श लिया जाएगा यदि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1957 के साथ पर्याप्त संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन ऐसा परामर्श आवश्यक हो।

8. परिवीक्षा —

- (1) किसी सेवा या पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को साधारणतः अवधि के लिये, जैसी कि विहित की जाये, परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी जो विहित की जाये।

- (4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस स्थिति में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह भत हो कि वह एक उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा।
- (5) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसे सेवा या पद के अनुपयुक्त पाया जाये, उसकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त की जा सकेंगी।
- (6) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण—पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थाई पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा।
- (7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो या जिससे उपनियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्त “छत्तीसगढ़ गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट (टेम्परेरी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी।”

9. स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिये परीक्षण —

- (1) कोई व्यक्ति जो पहले से ही, स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाये, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु शासन यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाये परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती है तो

शासकीय सेवकों का आधारभूत प्रशिक्षण (पाद्य सामग्री)

स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिये विहित है।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा :-

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पद, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती हैं और नियमों के परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित जाने योग्य है।

- (3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान या उस समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाये, जिस पर कि उस नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

टिप्पणी —विहित विभागीय परीक्षायें, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात की जाये, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि उस स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जायेगा।

- (4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिये जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाये तो यदि स्थाई पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया हैं, स्थाई कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण—पत्र उसके पक्ष में जांच किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थानापन्न पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उसे स्थायी कर दिया जायेगा।

- (5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है उसके पक्ष में प्रमाण—पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उप नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किया गया हैं, उप नियम (2) में किसी बात के हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जायेगा और उस कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने दायित्वाधीन होगा।

10. पदक्रम सूची – प्रत्येक सेवा के लिये एक पदक्रम सूची रखी जायेगी जिसमें उस सेवा में सम्मिलित पद धारण करने वाले शासकीय कर्मचारियों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम से लिखे जायेंगे :

परन्तु यदि सेवा में पदों की दो या अधिक भिन्न-भिन्न शाखायें या समूह हो और साधारणतः एक शाखा से दूसरी शाखा में या एक पद समूह से दूसरे पद समूह में स्थानान्तरण न किया जाता हो, तो ऐसी सेवा की शाखा या पद समूह के लिये एक पृथक् पदक्रम सूची रखी जायेगी।

11. राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में तैयार की गई पदक्रम सूचियाँ – इन नियमों में दी गई किसी भी बात का प्रभाव यह नहीं होगा कि उसके कारण राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार की गई शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित पदक्रम सूची में उसकी वरिष्ठता परिवर्तित हो जायेगी।

12. वरिष्ठता – किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जायेगी, अर्थात् :—

1. सीधी भरती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता —

- (क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उनकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।
- (ख) जहां पदोन्नतियाँ किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की जाती है।
- (ग) जहां पदोन्नतियाँ अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तो उसी समय पदोन्नति के लिये उपयुक्त जाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पायी जाती है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था।
किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था,

- चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तरिख से तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की सीधे भरती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

- (घ) यदि किसी सीधी भरती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जाहिए।
- (छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोलन्त सामूहिक रूप से (इनब्लाक) सीधी भरती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जायेंगे।

2. स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता –

- (क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाती है। जहां कोई व्यक्ति सीधी भरती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता है ऐसे स्थानान्तरण के लिये उपबंधित भरती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथास्थिति, सीधी भरती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति समूहित किया जायेगा तथा उसे यथा स्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भरती व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जावेगा।
- (ग) व्यक्तियों के मामले में जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन जहां संगत भरती नियमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण की व्यवस्था हो गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियन किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की सामान्यतः उसे संविलियन की तारीख से की जावेगी, तथापि यदि वह उसके मूल नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद कर रहा हो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते सम्भार्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसका

प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको कि वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद हो, नियुक्त किया गया था।

स्पष्टीकरण — तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार रथानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

3. विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता —

- (क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद या कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो तथा यह भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जानी हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती।
- (ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश के शर्त अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी।
- (ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।
- (घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों का, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिये अलग—अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि :—
 - (एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया तो तथा,
 - (दो) इन तारीखों में इन संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो।

4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता –

- (क) तदर्थ आधार पर नियुक्ति किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, वरिष्ठता नहीं दी जाएगी।
- (ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए ही नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति नियमों के अनुसार, सेवा में नियमित ही जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये स्थानापन्न की अवधि की गणना की जायेगी।

13. पदोन्नति – शासन प्रत्येक ग्रेड या सेवा के संबंध में, जिसमें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ऐसा ग्रेड या सेवा, जिससे ऐसी पदोन्नति की जा सकेगी तथा वह ऐसे प्रयोजन के लिए अपनाई जाती है। वाली प्रक्रिया और विशेष रूप से यह अवधारित करेगा कि क्या ऐसी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार इस शर्त के अध्यधीन की जायेगी कि पदोन्नति के अयोग्य समझे गये व्यक्तियों को अस्वीकृत कर दी जायेगा या क्या पदोन्नति के लिये चयन ऐसे व्यक्तियों में से योग्यता के आधार पर किया जायेगा। निम्न ग्रेड या सेवा में ऐसी न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर चुके हों, जो कि विहित की जाये।

14. प्रत्यावर्तन तथा पुनर्नियुक्ति – उच्च ग्रेड या सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे स्थानापन्न कर्मचारी उस निम्न ग्रेड या सेवा में जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया था, उस स्थिति प्रत्यावर्तित किये जा सकते हैं जब उच्च ग्रेड या सेवा में कोई रिक्त स्थान न हो और ऐसा प्रत्यावर्तन नहीं समझी जाएगी।

परन्तु वह आदेश जिसमें ऐसा प्रत्यावर्तन किया जाएगा, उस आदेश का उलटा होगा जिस स्थानापन्न पदोन्नति की गई हो, किन्तु केवल उस स्थिति को छोड़ जिसमें प्रशासनिक सुविधा दृष्टिगत रखते हुए किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को इस परन्तुक के अनुसार नहीं किन्तु अन्य प्रत्यावर्तित करना आवश्यक हो जाये।

परन्तु यह और कि कोई स्थान रिक्त होने पर उच्च ग्रेड या सेवा में पुनर्नियुक्ति सामान्य प्रत्यावर्तित शासकीय कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठताक्रम के अनुसार की जाएगी।

15. रक्षोपाय – इन नियमों या इनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश में दी गई किसी बात प्रभाव रखरूप कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अधिकार या सुविधाधिकार से वंचित नहीं होगा जिसका वर्णन किया गया है।

- (क) तत्समय प्रवत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन, अथवा
- (ख) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय ऐसे व्यक्ति और शासन के बीच विद्यमान किसी संविधान करार के निर्बन्धनों द्वारा हकदार हो।

16. छूट — इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्य के कार्यों से संबंधित सेवा में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले में राज्यपाल द्वारा ऐसी रीति से, जो उसे न्यायपूर्ण और सामयिक प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु जब किसी व्यक्ति के मामले में किसी नियम को शिथिल किया जाये, तो मामले पर ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाएगी जो उस व्यक्ति के लिये उस नियम में उपबंधित रीति से कम हितकर हो।

17. निर्वचन — यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई पश्न उठे, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।